संचिका संख्या–नि0वि0 / स्था0 वि0–527 / 2008 ....

बिहार सरकार
निगरानी विभाग,
सूचना भवना, पटना

पटना, दिनांक :–...................

अधिसूचना

संख्याः–.........................बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा–24 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** :– (1) यह नियमावली, बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

   (2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम–12 का प्रतिस्थापन :–**

   उक्त *नियमावली, 2010 का ''नियम–12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :– ''12. विशेष न्यायालयों के समक्ष विचारण में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विहित की गई हो।''*

3 बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के शेष सभी कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक–नि0वि0स्था0वि0–527 / 08 – / पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना एवं ई–गजट, वित्त विभाग (सी0डी0 सहित) को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक–नि0वि0स्था0वि0–527/08 – 2965/पटना, दिनांक :– 01.8.16

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (प्रभारी), तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना/पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vijay Prakash
1.8.16
सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग बिहार, पटना।

File No-NI/VI-STHA/VI-527/08 ....

Govt. of Bihar
Vigilance Department
Soochna Bhawan, Patna

Patna, Dated :-...........

NOTIFICATION

No:-................. In exercise of the powers conferred under section 24 of the Bihar Special Court Act, 2010, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Special Courts Rules, 2010 :-

1. **Short title and commencement :-**1. These Rules may be called the Bihar Special Courts (Amendment) Rules, 2016.

   2. It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rules-12 of the Bihar Special Courts Rules 2010.**

   Rule-12 of the said Rules, 2010- Rule 12 of the said Rules, 2010 shall be substituted by the following: -

   "12. The same procedure in trial before special court shall be followed as it has been prescribed in criminal procedure code 1973 for trial of warrant cases before magistrate."

3. Rest of the provisions of the Bihar Special Courts Rule 2010 will remain unchanged.

By order of the governor of Bihar

Sd/-
Principal Secretary to Government.
Vigilance Department, Bihar, Patna

Memo No:- NI/VI-STHA/VI-527/08 ..../ Patna, Dated ....

Copy forwarded to e-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna with a copy of C.D. for publication in extra ordinary issue of Bihar Gazette. It is requested to supply One thousand printed copies to vigilance Department.

Sd/-
Principal Secretary

Memo No:- NI/VI-STHA/VI-527/08 2966/ Patna, Dated 01.8.16

Copy forwarded to All Departments/All head of the Department/Director General of police, Bihar, Patna/All Divisional Commissioner/All Zonal I.G./All D.I.G./All D/M./All S.P./All C.J.M. Bihar./Governor Secretariat, Bihar/Chief Minister Secretariat, Bihar/Chief Secretary, Bihar/D.G. Vigilance investigation Bureau/I.G. Special Vigilance Unit/Engineer in Chief Vigilance technical Cell, Bihar, Patna/I.G. E.O.U. Bihar Patna for information & necessary action.

Vijay Prakash
Principal Secretary

Des/san/Rule Amendment/p-4